सत्यमेव जयते

राजस्थान सरकार

गृह रक्षा विभाग

वार्षिक प्रतिवेदन

2022-23

सत्यमेव जयते

निष्काम सेवा

निदेशालय, गृह रक्षा

राजस्थान, जयपुर

राजस्थान सरकार

गृह रक्षा विभाग

वार्षिक प्रतिवेदन

2022-23

निदेशालय, गृह रक्षा

राजस्थान, जयपुर

	भाग–1 विभागीय सार–संक्षेप	पृष्ठ संख्या
1.1	भूमिका	1
1.2	गृह रक्षा की शाखाएं	1–2
1.3	नियत्रंण	2
	भाग–2. निदेशालय का विवरण	3
2.1	गृह रक्षा, निदेशालय	3–4
2.2	केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थान	5
	भाग–3. विभागीय कार्यप्रणाली	
3.1	गृह रक्षा के मुख्य कृत्य	6
3.2	गृह रक्षा की सीमा इकाई	6–7
3.3	गृह रक्षा की शहरी इकाई	8
3.4	शहरी गृह रक्षा स्वयं सेवकों का नियोजन	9
3.5	सीमा गृह रक्षा स्वयं सेवकों का नियोजन	10
3.6	केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थान में संचालित पाठ्यक्रम	11–12
3.7	पुलिस आधुनिकीकरण योजना से सहायता	12
3.8	वार्षिक योजना	12
3.9	प्रशस्ति पत्र	13
3.10	विभागीय जांच एवं निलम्बन	13
3.11	प्राइवेट सिक्यूरिटी एजेन्सी अनुभाग	14–15

	भाग–4. बजट प्रावधान	
4.1	शहरी गृह रक्षा बजट मद	16
4.2	सीमा गृह रक्षा बजट मद	17
4.3	पुलिस आधुनिकीकरण योजना शहरी गृह रक्षा	18
4.4	पुलिस आधुनिकीकरण योजना सीमा गृह रक्षा	18
4.5	वृहद् निर्माण कार्य	19
4.6	अनुरक्षण एवं मरम्मत	19
भाग–5. विभाग की विशेष पहल एवं उपलब्धियाँ		20
	परिशिष्ठ	
	(अ) विभाग का संगठानात्मक स्वरूप	21
	(ब) विभाग की जिले वाइज स्वयं सेवकों की नफरी व उनके नियोजन का विवरण	22

वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2022–23

भाग–1 विभागीय सार–संक्षेप

1.1 भूमिका :

द्वितीय विश्व युद्व के दौरान ब्रिटेन में ''होमगार्डस'' नाम का एक स्वयं सेवी संगठन खड़ा किया गया जो कि युद्व के दौरान स्थानीय सुरक्षा व्यवस्था को कायम रख सके तथा स्थानीय प्रशासन को कानून एवं व्यवस्था बनाये रखने में सहायक हो सके। भारत वर्ष में स्वतंत्रता से पूर्व सर्वप्रथम 6 दिसम्बर 1946 को स्थानीय नागरिकों व पुलिस की सहायता के लिए ''**होमगार्ड**'' संगठन स्थापित किया गया, तत्पश्चात् इसी धारणा के अनुरूप अन्य राज्यों में भी इस प्रकार के संगठनों को स्थापित किया गया।

सन् 1962 में चीनी आक्रमण के मध्यनजर केन्द्र सरकार ने सभी राज्यों को अपनी–अपनी स्वयं सेवी संगठनों को एक संयुक्त सेना जिसका नाम ''**होमगार्डस**'' के नाम से स्थापित करने के निर्देश प्रदान किये गये जो कि संकल्प एवं चरित्र में स्वयं सेवी हो। राजस्थान में 'होमगार्डस' संगठन की स्थापना वर्ष 1962 में राजस्थान होमगार्डस अध्यादेश 1962 एवं राजस्थान होमगार्डस नियम 1962 द्वारा की गई। यह संगठन राजस्थान में 60 वर्ष पूर्ण कर चुका है। इस संगठन में वर्तमान में 30714 शहरी गृह रक्षा एवं सीमा गृह रक्षा दल के स्वयं सेवको का विशाल बल है, जिनके साथ हजारों परिवार जुड़े हुए हैं। इसी के मध्यनजर समस्त भारत में प्रत्येक वर्ष 06 दिसम्बर को ''**गृह रक्षा एवं नागरिक सुरक्षा**'' दिवस मनाया जाता है।

1.2 गृह रक्षा की दो शाखायें हैं :–

1. सीमा गृह रक्षा 2. शहरी गृह रक्षा

सीमा गृह रक्षा राज्य के चार सीमान्त जिलों क्रमशः बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर एवं श्रीगंगानगर में है। शहरी गृह रक्षा, राज्य के समस्त जिलों में है। राज्य के सभी जिलों में शहरी गृह रक्षा में 1420 महिला स्वयं सेविकायें भी हैं। इस प्रकार कुल 30714 गृह रक्षा के प्रशिक्षित स्वयं सेवक/सेविकाएं हैं। गृह रक्षा स्वयं सेवकों का नामांकन राजस्थान होम गार्डस रूल्स 1962 के अन्तर्गत एक निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार सम्बन्धित जिले के ऐसे व्यक्तियों में से किया जाता है जिनकी आयु 18 वर्ष से कम व 35 वर्ष से अधिक न हो।

इस विभाग का गठन निम्न प्रकार किया हुआ है :–

1. गृह रक्षा, निदेशालय, राजस्थान, जयपुर (राज्य स्तर पर)।
2. केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थान, गृह रक्षा, राजस्थान, जयपुर (राज्य स्तर पर)।
3. सीमा गृह रक्षा बटालियन (चार सीमान्त जिलों बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, एवं श्री गंगानगर में)।
4. शहरी गृह रक्षा इकाइयां (समस्त जिला स्तर पर)।

1.3 <u>नियन्त्रण</u> :

1. इस विभाग का सीधा प्रशासनिक नियन्त्रण महानिदेशक एवं महासमादेष्टा, गृह रक्षा के अधीन है। निदेशालय स्तर पर विभागाध्यक्ष की सहायतार्थ अति. महानिदेशक, महानिरीक्षक, उप महासमादेष्टा, सीनियर स्टाफ ऑफिसर तथा जूनियर स्टाफ ऑफिसर व अन्य अधिकारी नियुक्त हैं तथा अधीनस्थ इकाईयों में गण समादेष्टा/समादेष्टा/उप समादेष्टा के पद स्वीकृत है एवं अन्य स्टाफ अधिकृत है।
2. केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थान, गृह रक्षा का प्रशासनिक नियन्त्रण निदेशक के अधीन है, जो कि उप महासमादेष्टा स्तर के अधिकारी होते हैं। इस संस्थान की प्रशासनिक व्यवस्था एवं प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षित करने हेतु निदेशक के सहयोग के लिये उप निदेशक (उप समादेष्टा) एवं अन्य स्टाफ अधिकृत है।
3. सीमा गृह रक्षा बटालियनों का नियन्त्रण गण समादेष्टा के अधीन है जिनकी सहायतार्थ उप गण समादेष्टा व अन्य स्टाफ अधिकृत हैं।
4. शहरी गृह रक्षा इकाइयां राज्य के समस्त जिलो में स्थापित है जिनका नियंत्रण समादेष्टा में निहित है तथा सहायक के रूप में अधीनस्थ कर्मचारी अधिकृत हैं।

भाग–2 निदेशालय का विवरण

2.1 गृह रक्षा निदेशालय

वर्तमान में गृह रक्षा निदेशालय जलेब चौक परिसर में कार्यरत है। स्थानाभाव के कारण निदेशालय की कुछ शाखाएँ जैसे कि केन्द्रीय भण्डार एवं डिस्पेंसरी, गृह रक्षा प्रशिक्षण केन्द्र जयपुर के गवर्नमेन्ट हॉस्टल के समीप पुरानी आलू फैक्ट्री परिसर में कार्यरत हैं।

राज्य सरकार (जयपुर विकास प्राधिकरण) द्वारा दिनांक 4.10.2019 को गृह रक्षा निदेशालय भवन हेतु विद्याद्यर नगर सैक्टर–4 जयपुर में 1250 वर्ग मीटर के दो भूखण्ड आवंटित किये गये हैं तथा उक्त भूमि पर गृह रक्षा निदेशालय भवन निर्माण हेतु राशि 1129.74 लाख एवं भवन में अतिरिक्त कार्यों हेतु 153.86 लाख कुल राशि रूपये 1283.60 लाख का बजट आवंटन किया गया है। वर्तमान में निदेशालय भवन का निर्माण कार्य पूर्णता के करीब है। स्वीकृत तथा उपलब्ध स्टाफ की स्थिति निम्नानुसार है :–

क्र.सं.	नाम पद	स्वीकृत	उपलब्ध	रिक्तियॉ	विशेष विवरण
भारतीय पुलिस सेवा :					
1.	महानिदेशक एवं महासमादेष्टा, गृह रक्षा	1	1	–	–
2.	अतिरिक्त महानिदेशक, गृह रक्षा	1	1	–	–
3.	महानिरीक्षक, गृह रक्षा	1	–	1	–
राजस्थान गृह रक्षा सेवा :					
1.	उप महासमादेष्टा, गृह रक्षा	2	2	–	01 उप महासमादेष्टा आपदा प्रबन्धन विभाग में प्रतिनियुक्ति पर
2.	सीनियर स्टाफ ऑफिसर	2	2	–	–
3.	जूनियर स्टाफ ऑफिसर	1	1	–	–
4.	उप समादेष्टा (स्टोर)	1	1	–	–
5.	उप समादेष्टा (एल.आर.)	2	2	–	–
राजस्थान लेखा सेवा :					
1.	मुख्य लेखाधिकारी	1	1	–	–
2.	लेखाधिकारी	1	1	–	–
राजस्थान चिकित्सा सेवा :					
1.	वरिष्ठ चिकित्सक	1	1	–	–

विभागीय अधीनस्थ सेवा :					
1	कम्पनी कमाण्डर	1	—	1	—
2.	कम्पनी कमाण्डर आर्मोरर	1	—	1	एक प्लाटून कमाण्डर रिक्त पद के विरूद्ध पदस्थापित।
3.	निरीक्षक (एम.टी.)	1	—	1	—
4.	कनिष्ठ विधि अधिकारी	1	1	—	—
5.	सूचना सहायक	2	—	2	—
6.	प्लाटून कमाण्डर (एम.टी.)	1	—	1	एक प्लाटून कमाण्डर रिक्त पद के विरूद्ध पदस्थापित
7.	प्लाटून कमाण्डर	1	1	—	—
8.	मुख्य आरक्षी	3	1	2	—
9.	मुख्य आरक्षी आर्मोरर	2	—	2	दो मुख्य आरक्षी रिक्त पद के विरूद्ध पदस्थापित
10.	आरक्षी	14	1	13	—
11.	मशीनमैन	1	—	1	—
12.	वाहन चालक	1	—	1	—
13.	वार्ड ब्वाय	1	—	1	—
लेखा अधीनस्थ सेवा :					
1.	सहायक लेखाधिकारी–प्रथम	1	1	—	—
2.	सहायक लेखाधिकारी–द्वितीय	2	2	—	—
3.	कनिष्ठ लेखाकार	2	1	1	—
मंत्रालयिक सेवा :					
1	निजी सचिव	1	—	1	—
2.	निजी सहायक	2	—	2	—
3	संस्थापन अधिकारी	1	1	—	—
4.	प्रशासनिक अधिकारी	3	1	2	—
5.	अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी	2	1	1	—
6.	सहायक प्रशासनिक अधिकारी	6	6	—	—
7	वरिष्ठ सहायक	8	8	—	—
8.	कनिष्ठ सहायक	14	14	—	—
चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी :					
1.	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	6	3	3	—
2.	स्वीपर	1	1	—	—
	योग	**93**	**56**	**37**	—

2.2 केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थान, गृह रक्षा राजस्थान, जयपुर :

राज्य में केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थान, गृह रक्षा की स्थापना वर्ष 1982 में जयपुर में की गई थी। इस प्रशिक्षण संस्थान का मुख्य कार्य गृह रक्षा संगठन के अधिकारियों/ कर्मचारियों एवं स्वयं सेवकों को विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण प्रदान करना है । इस संस्थान पर नियन्त्रण एवं प्रशासनिक प्रबन्धन के लिए स्वीकृत एवं उपलब्ध अधिकारियों व कर्मचारियों का विवरण निम्नानुसार है :—

क. सं.	नाम पद	स्वीकृत	उपलब्ध	रिक्तियां	विशेष विवरण
राज्य सेवा :					
1.	निदेशक	1	1	—	—
2.	उप समादेष्टा	1	1	—	—
अधीनस्थ सेवा :					
1.	सीनियर इंस्ट्रेक्टर	1	—	1	—
2.	नागरिक सुरक्षा प्रशिक्षक	1	—	1	—
3.	कम्पनी कमाण्डर	1	1	—	—
4.	प्लाटून कमाण्डर	3	2	1	—
5.	मुख्य आरक्षी	6	2	4	—
6.	आरक्षी	13	—	13	—
7.	बिगुलर	2	—	2	—
8.	ड्रम मैन	2	—	2	—
9.	कांस्टेबल ड्राईवर	1	—	1	—
लेखा सेवा					
1	सहायक लेखाधिकारी—द्वितीय	1	—	1	—
मंत्रालयिक सेवा :					
1.	प्रशासनिक अधिकारी	1	—	1	अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी पदस्थापित
2.	शीघ्र लिपिक(स्टेनो)	1	1	—	—
3.	वरिष्ठ सहायक	1	1	—	—
4.	कनिष्ठ सहायक	2	2	—	—
	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी :				
1.	चौकीदार	2	1	1	—
2.	कुक	2	2	—	—
3.	कारपेन्टर	1	1	—	—
4.	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	2	1	1	—
	योग	**46**	**16**	**30**	—

भाग – 3 विभागीय कार्यप्रणाली

गृह रक्षा संगठन :

3.1 गृह रक्षा के मुख्य कृत्य निम्न प्रकार हैं :–

1. कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने में पुलिस की सहायता करना।
2. अग्नि शमन, बचाव (Rescue), संचार एवं एम्बुलेंस सर्विसेज को आवश्यकता होने पर सहायता प्रदान करना।
3. असामान्य स्थिति में परिवहन, संचार, बिजली, जल तथा परमावश्यक सेवाओं को बनाये रखना।
4. सरकार की समाज कल्याण योजनाओं में मदद करना।
5. ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करना जो राज्य सरकार या महानिदेशक एवं महासमादेष्टा गृह रक्षा द्वारा समय–समय पर कार्य सौंपे जायें।

राजस्थान गृह रक्षा स्वयं सेवको ने प्रशासन व पुलिस के साथ मिलकर आंतरिक सुरक्षा व कानून एवं व्यवस्था बनाये रखने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है तथा विभिन्न प्राइवेट संस्थानों में सुरक्षा ड्यूटी करते हुए अपनी योग्यता का परिचय दिया है। वर्तमान में गृह रक्षा स्वयं सेवकों द्वारा राज्य के बाहर अन्य राज्यों में लोकसभा एवं विधानसभा चुनावों में पुलिस के साथ कन्धे से कन्धा मिलाकर पूर्ण लगन व उत्साह के साथ अपनी ड्यूटी देते हुए शान्तिपूर्वक चुनाव सम्पन्न कराने में प्रशासन को सहयोग प्रदान किया है, जिसकी समय–समय पर भूरि–भूरि प्रशंसा की गई है जो कि संगठन की सक्रियता एवं उपयोगिता का एक अनुपम उदाहरण है। राज्य सरकार ने भी अनेक विभागो जैसे पुलिस, खनिज, बिजली, चिकित्सा, न्यायालय, नगर निगम, कोरोना महामारी इत्यादि में सुरक्षा का महत्त्वपूर्ण कार्य गृह रक्षा स्वयं सेवको को देकर उनमें अपना विश्वास व्यक्त किया है।

3.2 **सीमा गृह रक्षा दल (24 कम्पनियॉ)**

प्रदेश की अन्तर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित होने के कारण राजस्थान में शहरी गृह रक्षा के अतिरिक्त प्रत्येक सीमान्त जिले बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर एवं श्रीगंगानगर में एक–एक बोर्डर विंग होम गार्ड बटालियन स्वीकृत है। प्रत्येक बटालियन में 6 कम्पनियॉ स्वीकृत हैं एवं प्रत्येक कम्पनी में 111 स्वयं सेवक नामांकित हैं। इस प्रकार से बोर्डर विंग होम गार्ड की चारों बटालियनों की कुल नफरी 2664 स्वयं सेवकों की है।

सीमा गृह रक्षा का मुख्य कृत्य सेना के सहायक के रूप में कार्य करना, सीमा क्षेत्र के निवासियों का मनोबल दृढ़ बनाये रखना तथा महत्त्वपूर्ण संस्थानों व संवेदनशील ठिकानों की सुरक्षा कर भारतीय सेना की कमान्ड में रहते हुए राष्ट्र की रक्षा करना है। इसके अतिरिक्त आवश्यकता पड़ने पर चुनावों एवं अन्य अवसरों पर कानून एवं व्यवस्था बनाये रखने तथा आन्तरिक सुरक्षा में पुलिस/प्रशासन की सहायता करना है। इन चारों बटालियनों (24 कम्पनियॉ) के प्रशिक्षण, प्रशासनिक व्यवस्था हेतु सीमान्त जिलों में गण समादेष्टा पदस्थापित है तथा उनकी सहायतार्थ स्थाई स्टाफ की स्थिति निम्न प्रकार है :–

क.सं.	नाम पद	स्वीकृत	उपलब्ध	रिक्तियॉ	विशेष विवरण
राज्य सेवा :					
1.	गण समादेष्टा	4	1	3	–
2.	उप गण समादेष्टा	4	–	4	–
अधीनस्थ सेवा :					
1.	कम्पनी कमाण्डर	28	13	15	–
2.	प्लाटून कमाण्डर	76	26	50	–
3.	प्लाटून कमाण्डर आर्मोरर	4	–	4	–
4.	प्लाटून कमाण्डर एम.टी.	4	1	3	–
5.	मुख्य आरक्षी	24	16	8	–
6.	मुख्य आरक्षी एम.टी.	3	–	3	–
7.	मुख्य आरक्षी आर्मोरर	4	–	4	–
8.	वाहन चालक/आरक्षी वाहन चालक	35	3	32	–
9.	आरक्षी	103	–	103	–
अधीनस्थ लेखा सेवा :					
1.	सहायक लेखाधिकारी–द्वितीय	4	3	1	–
मंत्रालयिक सेवा :					
1.	अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी	4	3	1	–
2.	सहायक प्रशासनिक अधिकारी	4	3	1	–
3.	वरिष्ठ सहायक	4	3	1	–
4.	कनिष्ठ सहायक	16	15	1	–
चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी :					
1.	चौकीदार	21	6	15	–
2.	स्वीपर	27	10	17	–
	योग :	**369**	**103**	**266**	

3.3 शहरी गृह रक्षा (255 कम्पनियॉ) :–

राज्य के सभी 33 जिलों में शहरी गृह रक्षा दल की इकाइयां गठित हैं। जिसमें 13 महिला कम्पनियॉ सम्मिलित हैं, जिनकी कुल नफरी 1420 हैं व इन्हें राज्य के कानून एवं व्यवस्था हेतु सहयोगार्थ सभी जिलो में वितरित किया गया है। स्वयं सेवकों की अधिकृत नफरी का विवरण परिशिष्ट–''ब'' पर संलग्न है।

प्रशिक्षण, नियन्त्रण एवं प्रशासनिक कार्य सम्पादन करने हेतु जिला इकाईयों में शहरी गृह रक्षा में समादेष्टा पदस्थापित है तथा उनकी सहायतार्थ निम्नानुसार स्थाई स्टाफ आवंटित किया हुआ है :–

क.सं.	नाम पद	स्वीकृत	उपलब्ध	रिक्तियॉ	विशेष विवरण
राज्य सेवा :					
1.	समादेष्टा (डिविजनल कमाण्डर)	7	5	2	–
2.	उप समादेष्टा	26	23	3	–
अधीनस्थ सेवा :					
1.	कम्पनी कमाण्डर	24	19	5	–
2.	प्लाटून कमाण्डर	91	53	38	–
3.	मुख्य आरक्षी	100	30	70	–
4.	वाहन चालक/आरक्षी वाहन चालक	10	–	10	–
5.	आरक्षी	99	2	97	–
अधीनस्थ लेखा सेवा :					
1.	सहायक लेखाधिकारी–द्वितीय	12	5	7	–
2.	कनिष्ठ लेखाकार	2	1	1	–
अधीनस्थ चिकित्सा सेवा :					
1.	कम्पाउण्डर	1	1	–	–
मंत्रालयिक सेवा :					
1.	अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी	5	–	5	–
2.	सहायक प्रशासनिक अधिकारी	14	13	1	–
3.	वरिष्ठ सहायक	25	23	2	–
4.	कनिष्ठ सहायक	38	34	4	–
चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी :					
1.	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	19	17	2	–
2	चौकीदार	15	11	4	–
3	कुक	7	5	2	–
4.	स्वीपर	6	2	4	–
	योग :	**501**	**244**	**257**	–

- वर्तमान में विभाग में 1009 नियमित कार्मिकों की नफरी स्वीकृत है जिसके विरूद्ध वर्तमान में 419 अधिकारी/कर्मचारी कार्यरत हैं तथा 590 पद रिक्त चल रहे हैं। स्थिति दिसम्बर 2022 तक की दर्शाई गई है।
- इस विभाग में 05 अधिकारी/कर्मचारियों को रिक्त पदों के विरूद्ध अस्थाई रूप से पदस्थापित किया गया है।
- सीमा गृह रक्षा, शहरी गृह रक्षा के कुल 30,714 स्वयं सेवकों का विभिन्न जिलों में नफरी का विवरण परिशिष्ट 'ब' के अनुसार है।

नियोजन :

वर्ष 2022–23 में माह अप्रेल, 2022 से दिसम्बर 2022 तक शहरी गृह रक्षा स्वयं सेवकों को निम्न प्रकार ड्यूटी पर नियोजित किया गया :–

3.4 शहरी गृह रक्षा

क्र.स.	ड्यूटी का नाम	सदस्यों की संख्या	अवधि
1.	रात्रिगश्त / रात्रिकफ्र्यू ड्यूटी	2090	01.04.2022 से 31.12.2022 तक
2.	शासन सचिवालय, ड्यूटी	367	01.04.2022 से 31.12.2022 तक
3.	विधान सभा उप चुनाव 2022 (सरदारशहर–21) जिला चुरू	645	03.12.2022 से 05.12.2022 तक
4.	बोर्ड परीक्षा 2022	1384	24.03.2022 से 04.05.2022 तक
5.	बोर्ड पूरक परीक्षा 2022	43	04.08.2022 से 06.08.2022 तक
6.	पुलिस विभाग की मांग अनुसार विभिन्न मेले / पर्वो के दौरान ड्यूटी	82530 मैनडेज	01.04.2022 से 31.12.2022 तक
7.	पुलिस विभाग की मांग अनुसार कानून–व्यवस्था बनाये रखने हेतु	16840 मैनडेज	01.04.2022 से 31.12.2022 तक
8.	राज. अध्यापक पात्रता परीक्षा (रीट) 2022	9376	23.07.2022 से 24.07.2022 तक
9.	आरक्षी / आरक्षी वाहन चालक के रिक्त पदों के विरूद्ध	250	01.04.2022 से 31.12.2022 तक
10.	दिल्ली नगर निगम चुनाव 2022	3000	01.12.2022 से 06.12.2022 तक

3.5 सीमा गृह रक्षा ड्यूटियॉ का विवरण :–

क्र.स.	ड्यूटी का नाम	सदस्यों की संख्या	अवधि
1.	राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर	22	01.04.2022 से 31.12.2022 तक
2.	सुपर थर्मल पॉवर प्लांट छबड़ा जिला बारां	159	01.04.2022 से 31.12.2022 तक
3.	छबडा सुपर क्रिटिकल तापीय विधुत परियोजना मोतीपुरा जिला बांरा	174	01.04.2022 से 31.12.2022 तक
4.	सुजलान ग्लोबन सर्विसेज लिमिटेड, जैसलमेर	20	01.04.2022 से 31.12.2022 तक
5.	काली सिन्ध सुपर थर्मल पावर प्लांट, झालावाड़	189	01.04.2022 से 31.12.2022 तक
6.	विधुत विभाग बांसवाडा	12	01.04.2022 से 31.12.2022 तक
7.	केयर्न एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड, बाड़मेर	113	01.04.2022 से 31.12.2022 तक
8.	उप वन संरक्षक वन्यजीव, चम्बल घडियाल	19	01.04.2022 से 31.12.2022 तक
9.	उप वन संरक्षक वन्यजीव, राजसमन्द	43	01.04.2022 से 31.12.2022 तक
10.	उप वन संरक्षक वन्यजीव, जैसलमेर	32	01.04.2022 से 31.12.2022 तक
11.	उप वन संरक्षक वन्यजीव, कोटा	32	01.04.2022 से 31.12.2022 तक
12.	उप वन संरक्षक वन्यजीव, करौली	32	01.04.2022 से 31.12.2022 तक
13.	उप वन संरक्षक वन्यजीव, सिरोही	5	01.04.2022 से 31.12.2022 तक
14.	एच.पी.सी.एल. रिफाइनरी लिमिटेड पंचपदरा बाडमेर	99	01.04.2022 से 31.12.2022 तक
15.	वी.एस.लिग्नाईट पॉवर प्राईवेट लिमिटेड गुढा (बीकानेर)	38	01.04.2022 से 31.12.2022 तक
16.	सरिस्का बाघ परियोजना अलवर	131	01.04.2022 से 31.12.2022 तक
17.	रणथम्भौर बाघ परियोजना सवाई माधोपुर	53	01.04.2022 से 31.12.2022 तक
18.	मुकन्दरा राष्ट्रीय उद्यान कोटा	114	01.04.2022 से 31.12.2022 तक
19.	रामगढ़ गैस थर्मल पावर आर.जी.टी.वी.पी. (रामगढ जैसलमेर)	33	01.04.2022 से 31.12.2022 तक
20.	आकाशवाणी अजमेर	03	01.04.2022 से 31.12.2022 तक
21.	जवाहर सागर बूंदी	13	01.04.2022 से 31.12.2022 तक
22.	रावतभाटा चितौडगढ	13	01.04.2022 से 31.12.2022 तक
23.	गण कम्पनी मुख्यालय	40	01.04.2022 से 31.12.2022 तक
24.	हिल्ड एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड देवीकोट, जैसलमेर	64	10.08.2022 से 31.12.2022 तक
25.	खान विभाग	476	01.04.2022 से 31.12.2022 तक

3.6 **केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थान, जयपुर में वर्ष 2022–23 में संचालित पाठ्यक्रम :**

(अ) स्वयं सेवको के लिए प्रशिक्षण प्रोग्राम

क.सं.	कोर्स का नाम	अवधि	प्रशिक्षणार्थियों का स्तर	आवंटित सीटों की संख्या
1.	वैपन कोर्स (2)	16.05.2022 से 27.05.2022	HG VOL.	36
2.	वैपन कोर्स	20.06.2022 से 01.07.2022	HG VOL.	36
3.	यातायात नियत्रंण कोर्स	04.07.2022 से 15.07.2022	HG VOL.	36
4.	ड्रिल कोर्स	11.07.2022 से 22.07.2022	HG VOL.	36
5.	लीडर शीप कोर्स	18.07.2022 से 29.07.2022	HG VOL.	36
6.	ड्रिल कोर्स (1)	01.08.2022 से 12.08.2022	HG VOL.	36
7.	वेपन कोर्स (1)	08.08.2022 से 19.08.2022	HG VOL.	36
8.	ड्रिल कोर्स (2)	22.08.2022 से 02.09.2022	HG VOL.	36
9.	बैसिक कम्प्यूटर कोर्स	29.08.2022 से 09.09.2022	HG VOL.	36
10.	ड्रिल कोर्स (4)	05.09.2022 से 16.09.2022	HG VOL.	36
11.	ड्रिल फील्डकाफ्ट एण्ड टैक्टिस कोर्स (1)	19.09.2022 से 30.09.2022	HG VOL.	36
12.	यातायात नियंत्रण कोर्स (1)	26.09.2022 से 07.10.2022	HG VOL.	36
13.	मानदपूर्व पदोन्नति कोर्स (1)	03.10.2022 से 14.10.2022	HG VOL.	36
14.	फर्स्ट एड कोर्स (1)	10.10.2022 से 21.10.2022	HG VOL.	36
15.	वैपन एण्ड टैक्टिस कोर्स(2)	31.10.2022 से 11.11.2022	HG VOL.	36
16.	बैसिक कम्प्यूटर कोर्स	07.11.2022 से 18.11.2022	HG VOL.	36
17.	ड्रिल कोर्स (6)	28.11.2022 से 09.12.2022	महिला स्वयं सेविका	36
18.	ड्रिल कोर्स (7)	05.12.2022 से 16.12.2022	HG VOL.	36
19.	लीडरशिप कोर्स (3)	12.12.2022 से 23.12.2022	HG VOL.	36
20.	वैपन कोर्स (3)	19.12.2022 से 30.12.2022	HG VOL.	36

(ब) सीमा गृह रक्षा दल के स्वयं सेवकों का प्रशिक्षण प्रोग्राम वर्ष 2022–23:–

क.सं.	कोर्स का नाम	अवधि	प्रशिक्षणार्थियों का स्तर	आवंटित सीटों की संख्या
1.	वैपन एण्ड टैक्टिस कोर्स(1)	09.05.2022 से 20.05.2022	BHG VOL.	36
2.	लीडर शीप कोर्स (1)	15.08.2022 से 26.08.2022	BHG VOL.	36
3.	लीडर शीप कोर्स (2)	12.09.2022 से 23.09.2022	BHG VOL.	36
4.	फायर फाइटिंग कोर्स (1)	14.11.2022 से 25.11.2022	BHG VOL.	36
5.	ड्रिल कोर्स (5)	21.11.2022 से 02.12.2022	BHG VOL.	36

(स) स्थाई स्टाफ हेतु केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थान, जयपुर में प्रशिक्षण कार्यक्रम वर्ष 2022–23 :–

क्र.सं.	कोर्स का नाम	अवधि	प्रशिक्षणार्थियों का स्तर	आवंटित सीटों की संख्या
1.	पी.सी.सी. कोर्स	06.06.2022 से 15.07.2022	कम्पनी कमाण्डर	20
2.	पी.सी.सी. कोर्स	22.08.2022 से 30.09.2022	प्लाटून कमाण्डर	20
3.	पी.सी.सी. कोर्स	27.10.2022 से 09.12.2022	प्लाटून कमाण्डर / मुख्य आरक्षी	20

(द) नवनियुक्त एवं पदोन्नत उप समादेष्टाओं का प्रशिक्षण कार्यक्रम वर्ष 2022–23 :–

क्र.सं.	कोर्स का नाम	अवधि	प्रशिक्षणार्थियों का स्तर	आवंटित सीटों की संख्या
1.	उप समादेष्टा फाउण्डेशन कोर्स	02.11.2022 से 02.12.2022	हरिशचन्द्र माथुर लोक प्रशासन संस्थान राजस्थान, (जयपुर)	20

3.7 पुलिस आधुनिकीकरण योजना से सहायता

इस योजना के अन्तर्गत केन्द्र सरकार ने वर्ष 2003–04 से होम गार्डस के आधुनिकीकरण को शामिल करते हुए पुलिस विभाग को स्वीकृत की 5 प्रतिशत राशि गृह रक्षा विभाग को दिये जाने का प्रावधान किया गया है।

चालू वित्त वर्ष 2022–23 में पुलिस आधुनिकीकरण योजना के अन्तर्गत विभाग द्वारा स्टेट सिक्यूरिटी प्लान वर्ष 2022–23 में शामिल करने हेतु राशि रूपये 404.05 लाख का प्रस्ताव तैयार कर गृह रक्षा मत्रांलय, भारत सरकार को प्रेषित किया गया था, जिसमें विभाग को राशि रूपये 175.00 लाख के प्रस्ताव अनुमोदित किये गये हैं।

3.8 वार्षिक योजना :–

राज्य सरकार (जयपुर विकास प्राधिकरण) द्वारा दिनांक 4.10.2019 को गृह रक्षा निदेशालय भवन हेतु विद्याद्यर नगर सैक्टर–4 जयपुर में 1250 वर्ग मीटर के दो भूखण्ड आवंटित किये गये हैं तथा उक्त भूमि पर गृह रक्षा निदेशालय भवन निर्माण हेतु राशि 1129.74 लाख एवं भवन में अतिरिक्त कार्यों हेतु 153.86 लाख कुल राशि रूपये 1283.60 लाख का बजट आवंटन किया गया है। वर्तमान में निदेशालय भवन का निर्माण कार्य पूर्णता के करीब है। गृह रक्षा प्रशिक्षण केन्द्र, अलवर, झुंझुनू एवं जालौर को राज्य सरकार द्वारा निःशुल्क भूमि आवंटित की जा चुकी है तथा साथ ही वित्तीय वर्ष 2022–23 में राज्य सरकार द्वारा निर्माण कार्यों हेतु जारी स्वीकृति राशि रूपये 353.04 लाख में केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थान, गृह रक्षा जयपुर एवं गृह रक्षा प्रशिक्षण केन्द्र, अजमेर, जोधपुर, बांसवाडा, हनुमानगढ़, झुंझुनू, पाली, सवाईमाधोपुर, सीकर, सिरोही, टोंक, जालौर में निर्माण कार्य प्रगति पर है।

3.9 प्रशस्ति पत्र :–

भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा महामहिम राष्ट्रपति महोदय द्वारा प्रदत्त दिनांक 14.08.2022 को इस विभाग के 01 कार्मिकों को सराहनीय सेवा पदक प्रदान करने की घोषणा की गई।

भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा गृह रक्षा स्थापना दिवस 06 दिसम्बर 2022 से पूर्व दिनांक 30.11.2022 को इस विभाग के 02 अधिकारी एवं 03 कार्मिक को महानिदेशक प्रशस्ति डिस्क एवं प्रशस्ति पत्र प्रदान करने की घोषणा की गई।

गृह रक्षा स्थापना दिवस 06 दिसम्बर 2022 के अवसर पर महानिदेशक एवं महासमादेष्टा, गृह रक्षा, द्वारा 03 अधिकारी, 04 कार्मिक, 03 स्वयं सेवक व 01 मृतक स्वयं सेवक के आश्रित को महानिदेशक एवं महासमादेष्टा प्रशस्ति पत्र एवं प्रशस्ति डिस्क प्रदान किया गया। इसके अतिरिक्त आलौच्य वर्ष 1 जनवरी 2022 से 31 दिसम्बर 2022 के दौरान 209 अधिकारियों/कर्मचारियों एवं स्वयं सेवकों को अनुशासन संधारण तथा राज्य सेवार्थ कार्य के सराहनीय निष्पादनार्थ एवम् उत्साहवर्द्धनार्थ की गई सेवाओं की प्रतिष्ठा में महानिदेशक, गृह रक्षा एवं अतिरिक्त महानिदेशक, गृह रक्षा तथा उप महासमादेष्टा, गृह रक्षा द्वारा नकद पुरस्कार मय प्रशस्ति पत्रों से सम्मानित किया गया।

3.10 विभागीय जॉच/निलम्बन का ब्यौरा :–

गृह रक्षा विभाग के कर्मचारियों के विरूद्ध दिनांक 01.01.2022 से 31.12.2022 तक विचाराधीन निष्पादित विभागीय जॉच/निलम्बन आदि का ब्यौरा निम्न प्रकार है :–

क. सं.	प्रकरण	01.01.2022 को विचाराधीन प्रकरण	01.01.2022 के पश्चात् प्राप्त प्रकरण	योग	वर्ष के दौरान निस्तारित प्रकरण	31.12.2022 को लम्बित प्रकरण
1.	16 सीसीए	19	02	21	01	20
2.	17 सीसीए	03	06	09	06	03
3.	निलम्बन	06	0	06	04	02
योग :		**28**	**8**	**36**	**11**	**25**

3.11 प्राईवेट सिक्यूरिटी एजेन्सी अनुभाग

गृह विभाग राजस्थान सरकार की अधिसूचना संख्या एफ.33 (5) गृह–9/2005 दिनांक 31.01.2012 द्वारा महानिदेशक एवं महासमादेष्टा, गृह रक्षा, राजस्थान, जयपुर को प्राईवेट सिक्युरिटी एजेन्सी रेग्यूलेशन एक्ट, 2005 के प्रावधानों के अन्तर्गत **'कन्ट्रोलिंग ऑथोरिटी'** नियुक्त किया गया है, जिसके संचालन हेतु राज्य सरकार द्वारा कोई अतिरिक्त स्टाफ आवंटित नहीं हुआ है। वर्तमान में इस अनुभाग का कार्य विभाग में उपलब्ध सीमित स्टाफ द्वारा किया जा रहा है, जिसकी स्थिति निम्नानुसार हैः–

क.सं.	पदनाम	उपलब्ध
1.	महानिदेशक एवं महासमादेष्टा, गृह रक्षा, राजस्थान, जयपुर। (कन्ट्रोलिंग ऑथरिटी)	1
2.	अति0 महानिदेशक पुलिस, गृह रक्षा, राजस्थान, जयपुर।	1
3.	सीनियर स्टाफ ऑफिसर	1
4.	जूनियर स्टाफ ऑफिसर, गृह रक्षा, राजस्थान, जयपुर।	1
5.	प्लाटून कमाण्डर	1
6.	वरिष्ठ सहायक	1
7.	कनिष्ठ सहायक	1
8.	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	2
9.	गृह रक्षा स्वयं सेवक	2
	योग	**11**

प्राइवेट सिक्यूरिटी एजेन्सी अनुभाग के प्रमुख कार्य निम्नानुसार है :–

1. राज्य में निजी सुरक्षा का कारोबार करने हेतु नवीन लाइसेन्स जारी करना एवं पूर्व में जारी लाइसेन्सों का नियमानुसार नवीनीकरण करना।
2. राज्य में कार्यरत निजी सुरक्षा अभिकरणों का समय–समय पर निरीक्षण करना एवं प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण (विनियमन) अधिनियम, 2005 एवं राजस्थान प्राइवेट सिक्यूरिटी एजेन्सी (विनियमन) नियम, 2022 के प्रावधानों की पालना सुनिश्चित करना।
3. राज्य में अवैध रूप से निजी सुरक्षा का कार्य करने वाली निजी सुरक्षा अभिकरणों के विरूद्ध कानूनी कार्यवाही करना।

<u>प्रमुख कार्यो के विरूद्ध आलौच्य वर्ष में प्रगति का विवरण निम्नानुसार है :–</u>

वर्तमान में राज्य में दिनांक 31.12.2022 तक कुल 3057 निजी सुरक्षा अभिकरणों को लाइसेन्स जारी किया गया है, जिसमें से 1751 प्राइवेट सिक्यूरिटी एजेन्सी वैध लाइसेन्स के साथ कार्यरत है। राजस्थान प्राईवेट सिक्यूरिटी एजेन्सी (विनियमन) नियम–2006 के प्रावधानों के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना जारी कर महानिदेशक एवं महासमादेष्टा, गृह रक्षा, राजस्थान जयपुर को कन्ट्रोलिंग ऑथोरिटी नियुक्त किया गया है, जिनके द्वारा प्राईवेट सुरक्षा एजेन्सियों को विगत 03 वर्षो में जारी लाइसेन्स का तुलनात्मक विवरण निम्नानुसार है :–

क.सं.	लाइसेन्स का विवरण	वर्ष		
		2020	**2021**	**2022** (दिनांक 31.12.2022 तक)
1	नवीन लाइसेन्स	218	237	392
2	लाइसेन्स नवीनीकरण	28	41	64
	कुल योग :	**246**	**278**	**396**

गृह रक्षा विभाग में राजस्थान राज्य की विभिन्न निजी सुरक्षा एजेन्सियों से लाईसेन्स हेतु आवेदन प्रपत्र के साथ प्राईवेट सुरक्षा अभिकरण (विनियमन) अधिनियम–2005 में निर्धारित फीस के रूप में दिनांक 01.01.2022 से 31.12.2022 तक आवेदन शुल्क राशि 1,20,13,000/– (अनुमानित) राज्य कोष के आय मद में जमा हेतु भिजवाई गई है।

भाग – 4 (बजट संबंधी सूचना)

4.1 बजट प्रावधान एवं व्यय की स्थिति वित्तीय वर्ष 2022–23

बजट मद – 2070– अन्य प्रशासनिक सेवाएं
107– (01) शहरी गृह रक्षा

(राशि लाखो मे)

विस्तृत मद	बजट प्रावधान वर्ष 2022–23			31.12.2022 तक का व्यय		
	राज्य निधि	केन्द्रीय सहायता	कुल	राज्य निधि	केन्द्रीय सहायता	कुल
01– संवेतन	2370.00	790.00	3160.00	1488.33	474.19	1962.52
03– टी.ए.	26.25	8.75	35.00	22.00	7.03	29.03
04– मेडिकल	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00
05– कार्यालय व्यय	75.00	25.00	100.00	33.13	10.54	43.67
08–वृतिका और विशिष्ट सेवायें	4.00	0.00	4.00	1.50	0.00	1.50
09– किराया कर	7.50	0.00	7.50	4.53	0.00	4.53
11– विज्ञापन/विक्रय एवं प्रचार प्रसार	3.75	1.25	5.00	1.44	0.48	1.92
12– सहायतार्थ अनुदान (गैर संवेतन)	30.00	0.00	30.00	4.94	0.00	4.94
18– मशीनरी एवं साज समान	225.00	75.00	300.00	224.54	74.85	299.39
20– वाहन संधारण	48.75	16.25	65.00	35.92	11.75	47.67
29– प्रशिक्षण भ्रमण,सम्मेलन	1650.00	550.00	2200.00	722.37	221.43	943.80
32– डिक्री प्रभार	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00
36– वाहनों का किराया	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00
37– लिवरीज़	3.75	1.25	5.00	1.94	0.57	2.51
41– संविदा व्यय	30.00	0.00	30.00	6.86	0.00	6.86
42– प्रोत्साहन एंव मानदेय व्यय	1490.00	0.00	1490.00	1100.83	0.00	1100.83
2070–00–107–01–00 योग :–	**5964.03**	**1467.50**	**7431.53**	**3648.33**	**800.84**	**4449.17**

4.2 सीमा गृह रक्षा बजट मद

बजट मद– 2070– अन्य प्रशासनिक सेवाएं

107– (02) सीमा गृह रक्षा

(राशि लाखों में)

विस्तृत मद	बजट प्रावधान वर्ष 2021–22			31.12.2021 तक का व्यय		
	राज्य निधि	केन्द्रीय सहायता	कुल	राज्य निधि	केन्द्रीय सहायता	कुल
01– संवेतन	250.00	750.00	1000.00	142.74	482.15	624.89
03– टी.ए.	2.50	7.50	10.00	2.11	6.37	8.48
04– मेडिकल	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00
05– कार्यालय व्यय	3.88	11.62	15.50	2.40	7.05	9.45
06– वाहनों का क्रय	41.50	124.50	166.00	37.33	111.89	149.22
08–वृतिका और विशिष्ट सेवायें	1.00	0.00	1.00	0.21	0.00	0.21
09– किराया कर	0.15	0.00	0.15	0.08	0.00	0.08
11– विज्ञापन/विक्रय एवं प्रचार प्रसार	0.05	0.15	0.20	0.05	0.09	0.14
18– मशीनरी एवं साज समान	43.46	130.36	173.82	43.37	130.30	173.67
20– वाहन संधारण	9.00	27.00	36.00	4.14	12.80	16.94
29– प्रशिक्षण भ्रमण,सम्मेलन	187.50	562.50	750.00	98.40	295.92	394.32
32– डिक्री प्रभार	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00
37– लिवरीज़	0.58	1.72	2.30	0.28	0.84	1.12
42– प्रोत्साहन एंव मानदेय व्यय	56.00	0.00	56.00	94.69	0.00	94.69
2070–00–107–02–00 योग	**595.64**	**1615.35**	**2210.99**	**425.80**	**1047.41**	**1473.21**

4.3 पुलिस आधुनिकीकरण योजना शहरी गृह रक्षा

बजट मद–2070–अन्य प्रशासनिक सेवाएं

107– (03) पुलिस आधुनिकीकरण योजना

01 – पुलिस आधुनिकीकरण योजना के अन्तर्गत शहरी गृह रक्षा हेतु राशि

(राशि लाखों में)

उप मद	बजट प्रावधान वर्ष 2022–23			31.12.2022 तक का व्यय		
	राज्य निधि	केन्द्रीय सहायता	कुल	राज्य निधि	केन्द्रीय सहायता	कुल
06– वाहनो का क्रय	0.01	0.01	0.02	0.00	0.00	0.00
18–मशीनरी एवं साज समान	114.82	172.23	287.05	0.00	0.00	0.00
2070–00–107–03–01 योगः–	**114.83**	**172.24**	**287.07**	**0.0**	**0.0**	**0.0**

4.4 पुलिस आधुनिकीकरण योजना सीमा गृह रक्षा

बजट मद–2070–अन्य प्रशासनिक सेवाएं

107– (03) पुलिस आधुनिकीकरण योजना

02 – पुलिस आधुनिकीकरण योजना के अन्तर्गत सीमा गृह रक्षा हेतु राशि

(राशि लाखों में)

उप मद	बजट प्रावधान वर्ष 2022–23			31.12.2022 तक का व्यय		
	राज्य निधि	केन्द्रीय सहायता	कुल	राज्य निधि	केन्द्रीय सहायता	कुल
06– वाहनो का क्रय	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00
18–मशीनरी एवं साज समान	46.80	70.20	117.00	0.00	0.00	0.00
2070–00–107–03–02 योगः–	**46.81**	**70.20**	**117.01**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

4.5 वृहद् निर्माण कार्य

बजट मद – 4059–80–051–05–02

गृह रक्षा हेतु प्रशासनिक भवन

(राशि लाखों में)

उप मद	बजट प्रावधान वर्ष 2022–23			31.12.2022 तक का व्यय		
	राज्य निधि	केन्द्रीय सहायता	कुल	राज्य निधि	केन्द्रीय सहायता	कुल
17–वृहद् निर्माण कार्य	356.04	0.00	356.04	30.65	0.00	30.65
योगः–	**356.04**	**0.0**	**356.04**	**30.65**	**0.00**	**30.65**

4.6 अनुरक्षण एवं मरम्मत

बजट मद – 2059–80–053–41–01

(राशि लाखों में)

उप मद	बजट प्रावधान वर्ष 2022–23			31.12.2022 तक का व्यय		
	राज्य निधि	केन्द्रीय सहायता	कुल	राज्य निधि	केन्द्रीय सहायता	कुल
21–अनुरक्षण एवं मरम्मत	58.25	0.00	58.25	29.56	0.00	29.56
योगः–	**58.25**	**0.00**	**58.25**	**29.56**	**0.00**	**29.56**

भाग – 5

आलौच्य वर्ष 2022–23 की विशेष पहल एवं उपलब्धियाँ निम्नानुसार है :–

1. गृह रक्षा विभाग द्वारा 3842 स्वयं सेवकों की नामांकन हेतु राज्य सरकार से स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है।
2. विधान सभा उप चुनाव– 2022 (सरदारशहर–21) जिला चुरू में कानून–व्यवस्था बनाये रखने हेतु 645 स्वयं सेवकों का नियोजन किया गया।
3. पुलिस विभाग की मांग अनुसार कानून–व्यवस्था एवं मेले एवं पर्वों के दौरान ड्यूटी हेतु लगभग 99,370 मानव दिवसों हेतु स्वयं सेवकों का नियोजन किया गया।
4. दिल्ली नगर निगम चुनाव–2022 के दौरान कानून–व्यवस्था बनाये रखने हेतु राज्य से 3000 स्वयं सेवकों का नियोजन किया गया।
5. गृह रक्षा स्वयं सेवकों के प्रशिक्षण हेतु वित्तीय वर्ष 2022–23 के लिए आवंटित लक्ष्यों के विरूद्ध 9690 स्वयं सेवकों को पुनः प्रशिक्षण तथा 5610 स्वयं सेवकों को अग्रिम प्रशिक्षण प्रदान कर प्रशिक्षित किया गया है।
6. इस विभाग के ग्रामीण उप केन्द्रों को शहरी गृह रक्षा क्षेत्र में सम्मिलित किया गया, जिससे प्रशासनिक प्रक्रिया एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम का सुदृढीकरण कर बेहतर प्रबंधन सुनिश्चित किया गया।
7. रोकड़ परिवहन निजी सुरक्षा में कार्यरत निजी सुरक्षा एजेन्सियों के कार्यकलापों पर नियत्रंण हेतु निजी सुरक्षा अभिकरण (रोकड़ परिवहन कार्यकलापों हेतु निजी सुरक्षा) नियम 2019, तैयार कर राजस्थान राजपत्र में प्रकाशन करवाया गया।
8. चालू वर्ष के दौरान राजस्थान प्राइवेट सिक्यूरिटी एजेन्सी (विनियमन) नियम, 2022 राजस्थान राजपत्र में प्रकाशन की दिनांक 26.08.2022 से प्रभावी है।
9. राज्य में अवैध रूप से कार्यरत एवं प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण (विनियमन) अधिनियम 2005, एवं राजस्थान प्राइवेट सिक्यूरिटी एजेन्सी (विनियमन) नियम, 2022 के प्रावधानों की पालना नहीं करने वाली निजी सुरक्षा अभिकरणों को चिन्हित कर उनके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की गई।

गृह रक्षा विभाग का संगठनात्मक स्वरूप

परिशिष्ट 'अ'

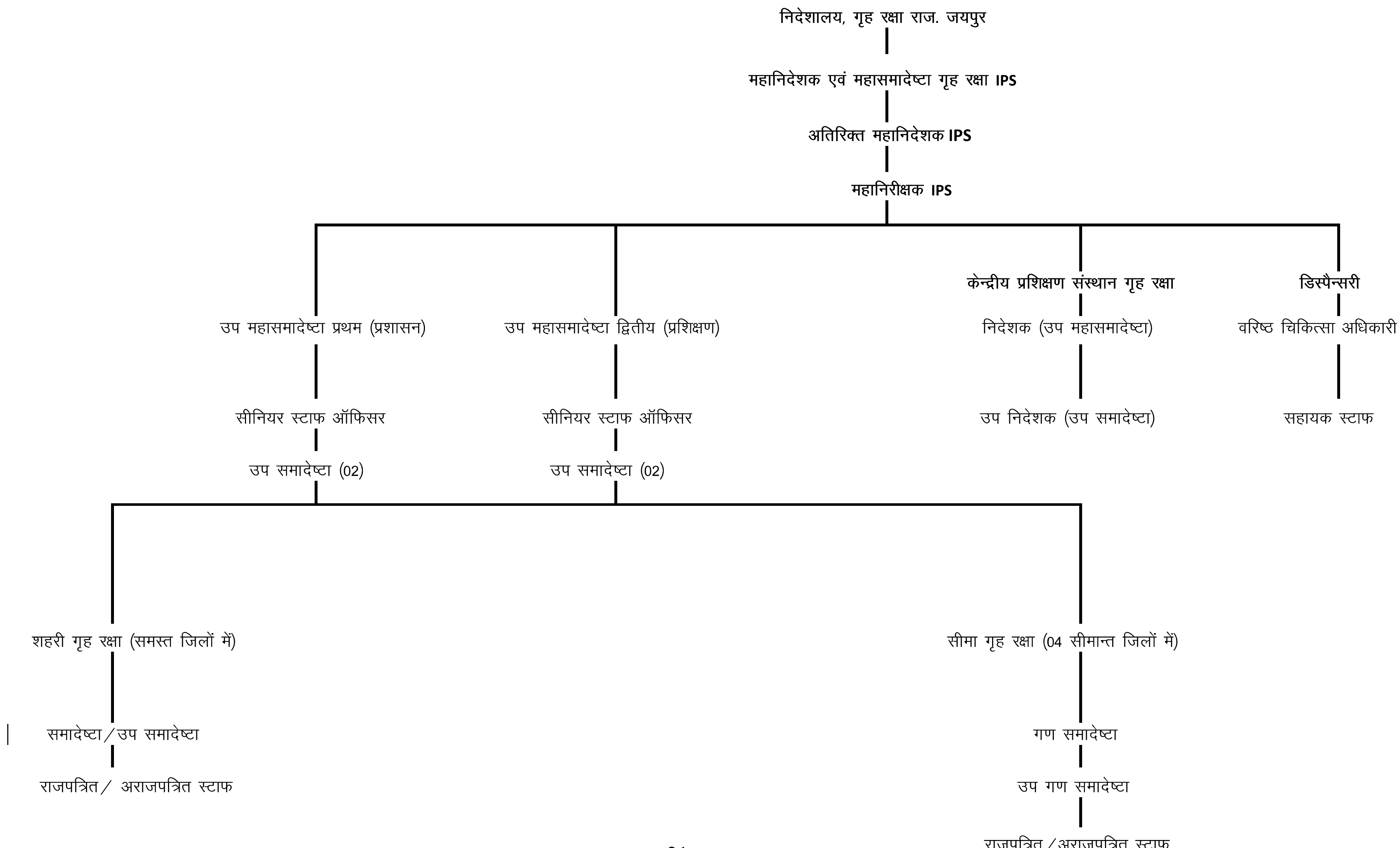

परिशिष्ट 'ब'

होम गार्डस की स्वीकृत/ऑन रोल नफरी/कमी का विवरण (दिनांक 31.12.2022 की स्थिति)											
क्र.सं.	जिले का नाम	अधिकृत		कुल योग	मौजूदा		कुल योग	रिक्तियां		कुल योग	नियोजित
		पुरूष	महिला		पुरूष	महिला		पुरूष	महिला		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	अजमेर	1660	60	**1720**	1497	53	**1550**	163	7	**170**	569
2	अलवर	1310	80	**1390**	1008	57	**1065**	302	23	**325**	583
3	बाड़मेर	455	20	**475**	425	2	**427**	30	18	**48**	223
4	बांसवाड़ा	330	35	**365**	285	31	**316**	45	4	**49**	217
5	बारां	530	20	**550**	468	0	**468**	62	20	**82**	330
6	बीकानेर	1025	35	**1060**	935	28	**963**	90	7	**97**	441
7	भरतपुर	995	35	**1030**	833	29	**862**	162	6	**168**	264
8	भीलवाड़ा	770	35	**805**	709	32	**741**	61	3	**64**	366
9	बून्दी	520	30	**550**	469	22	**491**	51	8	**59**	345
10	चूरू	530	20	**550**	483	12	**495**	47	8	**55**	165
11	चितौड़गढ़	860	20	**880**	758	2	**760**	102	18	**120**	509
12	दौसा	490	20	**510**	423	3	**426**	67	17	**84**	160
13	धौलपुर	420	20	**440**	368	1	**369**	52	19	**71**	148
14	डूंगरपुर	335	30	**365**	284	30	**314**	51	0	**51**	127
15	श्रीगंगानगर	690	40	**730**	615	34	**649**	75	6	**81**	253
16	हनुमानगढ़	440	35	**475**	408	31	**439**	32	4	**36**	190
17	जयपुर	3275	220	**3495**	3014	210	**3224**	261	10	**271**	2801
18	जालौर	270	20	**290**	249	0	**249**	21	20	**41**	152
19	जैसलमेर	420	20	**440**	372	2	**374**	48	18	**66**	219
20	झालावाड़	475	35	**510**	383	31	**414**	92	4	**96**	290
21	झुन्झुनु	305	25	**330**	290	25	**315**	15	0	**15**	176
22	जोधपुर	2270	110	**2380**	2054	110	**2164**	216	0	**216**	871
23	करौली	420	20	**440**	374	1	**375**	46	19	**65**	203
24	कोटा	1945	70	**2015**	1776	47	**1823**	169	23	**192**	954
25	नागौर	735	35	**770**	615	23	**638**	120	12	**132**	171
26	पाली	805	35	**840**	681	32	**713**	124	3	**127**	244
27	प्रतापगढ़	310	20	**330**	284	0	**284**	26	20	**46**	171
28	राजसमन्द	550	70	**620**	482	68	**550**	68	2	**70**	257
29	स.माधोपुर	600	20	**620**	573	3	**576**	27	17	**44**	388
30	सीकर	625	35	**660**	565	28	**593**	60	7	**67**	221
31	सिरोही	345	20	**365**	248	0	**248**	97	20	**117**	210
32	टोंक	710	20	**730**	575	18	**593**	135	2	**137**	212
33	उदयपुर	1210	110	**1320**	882	89	**971**	328	21	**349**	710
	योग	**26630**	**1420**	**28050**	**23385**	**1054**	**24439**	3245	366	**3611**	13140

नोटः— वर्तमान में 20 ग्रामीण उपकेन्द्र को शहरी केन्द्रों में सम्मिलित कर शहरी केन्द्र घोषित किया गया है।

सीमा गृह रक्षा दल (दिनांक 31.12.2022 की स्थिति)					
क.स.	गण का नाम	स्वीकृत नफरी	ऑन रोल नफरी	रिक्त पद	कुल नियोजन
1.	बाड़मेर	666	591	75	500
2.	जैसलमेर	666	580	86	494
3.	बीकानेर	666	592	74	472
4.	श्री गंगानगर	666	601	65	463
कुल योग		**2664**	**2364**	**300**	**1929**